दूरभाष : नियंत्रक : 2550931
फैक्स : 2551069
उप नियंत्रक : 2551069

कार्यालय, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग

अरेरा हिल्स, मैदा मिल रोड, भोपाल—462 011

क्रमांक . . . जी.बी. दो/(13)/09 भोपाल, दिनांक . . . .

प्रति,

सचिव/आयुक्त
म0 प्र0 शासन,
जन सम्पर्क विभाग,
भोपाल।

विषय :— मुद्रण कार्य के संबंध।
संदर्भ:— आपका परिपत्र कमांक सजसं/34/2012 दिनांक 12 जून, 2012,

कृपया विषयांतर्गत आपके द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र एवं उसके साथ संलग्न राजस्व विभाग के पत्र कमांक एफ—5—4/2003/सात—5 दिनांक 16—8—2004 का अवलोकन करें। इस पत्र में म0 प्र0 माध्यम को कार्य देने का अधिकार नियंत्रक को सौंपा गया था न कि अन्य विभागों को। चूँकि मध्यप्रदेश माध्यम ने इसकी त्रुटि पूर्ण व्याख्या की थी, इसी कारण म0 प्र0 शासन राजस्व विभाग के पत्र कमांक एफ 5—4/2003/सात—5/09 दिनांक 28—2—09 द्वारा उक्त पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिसकी प्रतिलिपि प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश माध्यम को भी प्रेषित की गई है। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की प्रतिलिपि पुनः संलग्न है।

2 परिपत्र में आपके द्वारा प्रसारित राज्य मंत्रि परिषद आदेश दिनांक 12—12—1989, मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा तैयार की गई प्रचार सामग्री के देयकों को पारित करने के संबंध में है न कि अन्य विभागों के मुद्रण कार्य के सम्बंध में। शासन की प्रचार सामग्री में क्या—क्या आता है, इस संबंध में मुख्य सचिव महोदय म0प्र0शासन द्वारा एक परिपत्र कमांक 49/मुस/जस/2008 दिनांक 12—5—2008 जारी कर वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी थी। उक्त परिपत्र की प्रति भी संलग्न है।

3 मुद्रण से संबंधित विषय राजस्व विभाग का है। म.प्र.शासन, राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक एफ 5—4/2003/सात—5 दिनांक 20—2—2003 के पैरा 3 में पूरी स्थिति वर्णित है। सुलभ संदर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है। इस प्रकार मुद्रण एवं लेखन सामग्री का कार्य नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री द्वारा बुक ऑफ फाइनेन्शियल पावर्स, 1995 (भाग—एक) के अंतर्गत किया जाता है। शासकीय मुद्रणालयों द्वारा कार्य न करने की स्थिति में निजी मुद्रकों से कार्य कराया जाना या अनापत्ति प्रमाण—पत्र देना नियंत्रक का कार्य है ।

4 समय—समय पर आपको अवगत कराया जाता रहा है कि शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री के संबंध में निम्नलिखित नियम लागू हैं :—

1. मुद्रण एवं जिल्दसाजी नियम वर्ष 1957

2. गैर सरकारी मुद्रणालयों में मुद्रण संबंधी नियम, 1957
3. रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंटिंग एक्ट प्रायवेट प्रेसेस (रिवाइज्ड रूल्स 1984)
4. पुनरीक्षित मध्यप्रदेश फार्म नियम, 1961
5. बुक ऑफ फाइनेन्शियल पावर्स, 1995 (भाग–एक)
6. बिजनेस अलोकेशन रूल्स.
7. एम.पी.एफ.सी. वोल्यूम–2 अपेन्डिक्स–6(56)

मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों का मुद्रण एवं लेखन सामग्री का कार्य विभागीय नियम (सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग–3 में भी उल्लेख है) एवं शासन आदेशों के तहत किया जाता है। विभाग के उक्त नियम एवं परिपत्र स्पष्ट हैं।

5. मध्यप्रदेश माध्यम के सेट–अप में मात्र एक मुद्रण मशीन स्थापित है। अतः आपको जनसम्पर्क विभाग के मुद्रण कार्यो के लिये छूट दी जा चुकी है। मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा अन्य शासकीय विभागों से मुद्रण कार्य प्राप्त कर स्वयं के संसाधनों से मुद्रित न कर अन्य निजी मुद्रकों को आउट सोर्स कर मुद्रित कराना मध्यप्रदेश शासन के उपरोक्त नियमों का उल्लंघन है।

अतः अनुरोध है कि कृपया विषयान्तर्गत आपके संदर्भित परिपत्र को संशोधित कर केवल प्रचार प्रसार सामग्री तक सीमित करने का कष्ट करें।

(हीरालाल त्रिवेदी)
नियंत्रक
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री
म0 प्र0, भोपाल

पृ0 क0 जी.बी. दो/(13)/09 2417 **भोपाल, दिनांक** 6-7-12

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. महालेखाकार, म0 प्र0, ग्वालियर की ओर म0 प्र0 शासन राजस्व विभाग के संलग्न परिपत्र दिनांक 20–2–03(प्रतिलिपि क्र.3) के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष,म0प्र0,
4. समस्त संभागायुक्त, म0प्र0,
5. समस्त जिलाध्यक्ष, म0प्र0,
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, म0प्र0,

की ओर सूचनार्थ।

कृपया म0 प्र0 माध्यम को मंत्रिपरिषद के निर्णय एवं मुख्य सचिव महोदय के परिपत्र में उल्लेखित प्रचार प्रसार सामग्री से संबंधित कार्य को छोड़कर अन्य मुद्रण कार्य न दिया जाये।

7. प्रबंध संचालक, म.प्र.माध्यम की ओर सूचनार्थ ।

नियंत्रक
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री
म0 प्र0, भोपाल

विषय:- मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा देयकों का बंधनकारी बनाने के संबंध में।

---:::---

(पूर्व पृष्ठ से)

मंत्रि परिषद् आदेश

निर्णय लिया गया कि शासन के विभिन्न विभागों के आदेश पर मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा तैयार की गई [illegible] सामग्री के देयकों को पारित करने के लिए नियंत्रक, लेखन सामग्री और मुद्रण द्वारा दरों का अभिप्रमाणन और सामग्री प्रकाशित करने में असमर्थ होने के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने का बंधन न लगाते हुए मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा दी गयी दरों को सभी विभागों द्वारा मान्य किया जाए।

(रामसिंह खन्ना)
मुख्य सचिव
12 दिसम्बर, 1989

सचिव, जनसम्पर्क

कृपया आदेश जारी करें।
S.K. Joshi
19.12.89

सं. मु. सचिव (जनसंपर्क)

सभी विभागों, संचालक, [illegible] को आदेश की प्रतिलिपि भेजें।

कार्य. मुं. मा[illegible]
19.12.89

[illegible]

संयुक्त सचिव

S.K. Joshi
20.12.89

मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग
मंत्रालय

कमांक एफ. 5–4/2003/सात–5 भोपाल, दिनांक 20 फरवरी, 2003

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
4. समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश

विषयः– म.प्र. कार्य आवंटन नियम, **(Business Allocation Rules)** एवं म.प्र. मुद्रण और जिल्दसाजी नियम के अन्तर्गत मुद्रण सामग्रियों को मुद्रित कराने बाबत्।

पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि कई विभागों के अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा शासकीय मुद्रण का कार्य शासकीय मुद्रणालयों से नहीं किया जा रहा है। शासकीय कार्यालयों द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन, ब्रोसर इत्यादि का मुद्रण निजी मुद्रणालयों से सीधे या किसी पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से करवाया जा रहा है। इससे मुद्रण से होने वाले व्यय की राशि शासन के कोष में जमा न होकर निजी व्यवसाईयों के हाथ में जा रही है। कार्य आवंटन नियम, (Business Allocation Rules) एवं 'मुद्रण और जिल्दसाजी नियम' के अनुसार सभी प्रकार के विभागीय मुद्रण कार्य शासकीय मुद्रणालय में मुद्रण हेतु भेजा जाना चाहिए एवं किसी भी स्थिति में निजी मुद्रकों या पंजीकृत संस्था के माध्यम से मुद्रण नहीं करवाया जाना चाहिये। निजी प्रेस में मुद्रण विषय भी राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

उसी तरह म0प्र0 मुद्रण तथा जिल्दसाजी नियम के नियम 52 का प्रावधान निम्नानुसार हैः–

"अधीक्षक (वर्तमान में नियंत्रक) शासन मुद्रण तथा लेखन सामग्री म.प्र.को छोड अन्य अधिकारियों द्वारा गैर सरकारी मुद्रणालयों में मुद्रण कार्य करवाना सर्वधा निषिद्ध है और आवश्यक होने पर गैर सरकारी मुद्रणालयों में मुद्रण के लये सभी प्रबंध उसके (नियंत्रक) मार्फत् किये जाने चाहिये।"

3/ म.प्र. शासन वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों संबंधी परिपत्र कमांक एफ 17–ए.ए 5–सी/चार/दिनांक 27 मई 1997 द्वारा जारी Delegation of Power (वित्त अधिकार संबंधी पुस्तक) के भाग एक में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :–

S.No.	Reference	Descritiption	Authority competent to exercise the powers	Extent of delegation	Conditions
1.	2.	3.	4.	5.	6.
30	M.P.F.C.Vol-II Appendix-6(56)	Get Printing work done through local private presses in urgent and emergency cases.	(i) Administrative Department (ii) Head of Department	Full powers Rs. 1 lakh in a year but not more that Rs	Subject to the condition that:- (i) The Governemtn Press is unable

				25,000 in each case.	to undertake the work of execution in the time limit.
			(iii) Collector/District & Sessions Judges/Divisional Heads.	Rs. 50,000 in a Year subject to a ceiling of Rs. 10,000 in each case	(ii) The rates are competitive (obtained by invition sealed tenders/quotations from at least three presses as per rules).
			(iv) Head Office	Up to Rs.25,000 subject to Rs. 5,000 in each case	

4/ वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त उपरोक्त वित्तीय अधिकार से अधिक की राशि का मुद्रण नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री से बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र लिये निजी मुद्रकों/म.प्र.माध्यम से नहीं कराया जा सकता है। यदि बिना NOC प्राप्त किये मुद्रण कार्य कराया जाता है तो यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

5/ यह भी अनुभव किया गया है कि कतिपय विभाग/कार्यालय शासकीय मुद्रणालयों को मुद्रण कराने हेतु बहुत कम समय में मुद्रण करने हेतु मुद्रण कार्य भेजते हैं। जो समय बताया जाता है वह अव्यवहारिक होता है। इतने समय में मुद्रण कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। ऐसी प्रतीत होता है कि विभाग/कार्यालय अव्यवहारिक समय सीमा बताकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते है ताकि अन्यत्र निजी मुद्रणालय में छपाई का कार्य किया जा सके। यह सर्वथा अनुचित है। राज्य शासन के अपने मुद्रणालय होते हुए निजी मुद्रकों को लाभ पहुंचाने के इरादे से मुद्रण कार्य अन्यत्र कराना अनैतिक है।

6/ शासन के कुछ उपक्रम जिनकी अपनी मुद्रण क्षमता नहीं के बराबर है विभिन्न शासकीय विभागों/शासकीय उपक्रमों से शासकीय मुद्रण कार्य लेकर निजी मुद्रकों को सौंप देते हैं एवं उसमें सुपरविजन चार्ज जोडकर उन शासकीय विभागों को देयक भेजते हैं। इससे शासकीय विभागों/कार्यालयों को उक्त मुद्रण के कार्य के लिये अधिक व्यय करना पडता है। शासन द्वारा शासकीय मुद्रणालयों में नई एवं आधुनिक मशीनें लगवाई गई है, जिसमें 4–कलर आफसेट प्रिंटिंग मशीन प्रमुख है। वर्ष 2003 का शासकीय रंगीन कैलेण्डर का मुद्रण शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में स्थापित इसी मशीन पर ही किया गया है। वर्ष 2003 के कैलेण्डर के मुद्रण को लगभग सभी विभागों द्वारा सराहा गया है।

7/ उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कृपया शासन के नियम और वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के अनुसार ही समस्त शासकीय मुद्रण कार्य शासकीय मुद्रणालयों (Govt.Press) से ही करायें।

8/ गत वर्षो में शासकीय मुद्रणालयों को लगातार की गई आधुनिकीकरण से मुद्रण क्षमता में काफी वृद्धि हुई है और इनमें शासन किसी भी मुद्रण कार्य समय सीमा में करने की क्षमता है। कृपया भविष्य में सारे शासकीय मुद्रण शासकीय मुद्रणालयों से करवाएं एवं शासकीय धन निजी मुद्रकों को लाभ पहुंचाने के लिऐ व्यय होने से बचाएं।

(सत्यानन्द मिश्र)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग

पृ. क्रमांक एफ. 5–4/2003/सात–5 भोपाल, दिनांक 20 फरवरी, 2003
प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचना अग्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– महालेखाकार, म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया विभागों के अंकेक्षण के समय उपरोक्त नियमानुसार कार्यवाही विभागों द्वारा की गई है इसमें विशेष रूप से परीक्षण किया जावे एवं नियमों के उल्लंघन की सूचना शासन को एवं वित्त विभाग को दी जावे।

4– नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री म.प्र. भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

मंत्रालय

कमांक एफ/5–4/2003/सात–5 भोपाल,दिनांक

प्रति,

नियंत्रक
मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग
भोपाल

विषयः– शासकीय विभागों एवं विभागाध्यक्षों के मुद्रण का कार्य।

प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश माध्यम के पत्र कमांक मप्रमा/मुद्रण/2004/2050 दिनांक 07 जुलाई,2004 की छायाप्रति संलग्न कर आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि कृपया म.प्र.माध्यम के निवेदनानुसार शासनाधीन आने वाली संस्थाओं का कार्य मध्यप्रदेश माध्यम को ही करने दे एवं ऐसे मुद्रण कार्य जो शासकीय मुद्रणालय को प्राप्त होते है,परंतु उनके द्वारा मुद्रण न किया जाकर निजी मुद्रकों से कराया जाता है,उन कार्यो को मध्यप्रदेश माध्यम को सौंपा जाय।

अवर सचिव
म0प्र0शासन राजस्व विभाग

पृ0क0एफ 5–4/2003/सात–5 भोपाल,दिनांक 16.08.2004

प्रतिलिपिः– प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश माध्यम,जनसंपर्क भवन बाणगंगा मार्ग,भोपाल के पत्र क. 2050 दिनांक 7.7.2004 के संदर्भ में सूचनार्थ।

अवर सचिव
म0प्र0शासन राजस्व विभाग

राकेश साहनी
मुख्य सचिव
Chief Secretary

मध्यप्रदेश शासन
वल्लभ भवन, भोपाल- 462004
Government of Madhya Pradesh
Vallabh Bhavan, Bhopal- 462004

पत्र क्र.49 /मुस/जस/2008
भोपाल, दिनांक 12 मई 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत मध्यप्रदेश

विषयः- राज्य शासन के विभिन्न विभागों/निगमों/मण्डलों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रचार-प्रसार से संबंधित कार्य मध्यप्रदेश माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

मध्यप्रदेश माध्यम, जनसंपर्क विभाग के अधीन कार्यरत् स्वायत्तशासी संस्था है, जिसका गठन राज्य शासन के विभागों, एवं शासन अधीन आने वाली संस्थाओं की योजनाओं के प्रचार-प्रसार संबंधी कार्य करने के लिये किया गया है।

मुख्य सचिव के अर्धशासकीय पत्र क्र. 368 दिनांक 7 सितम्बर 99 द्वारा सभी शासनाधीन आने वाली संस्थाओं को आदेश प्रदान किये गये थे कि सभी वर्गीकृत एवं प्रदर्शन विज्ञापनों का प्रकाशन मध्यप्रदेश माध्यम से ही करायें। यह देखने में आया है कि कुछ संस्थाएं अभी भी विज्ञापनों का प्रकाशन निजि एजेंसियों के माध्यम से करा रही हैं जो कि उचित नहीं है और शासन के आदेशों की अवहेलना है। कृपया शासन के उपरोक्त आदेशों का पालन सुनिश्चित करें।

शासन के विभिन्न विभागों/निगमों/मण्डलों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रचार-प्रसार से संबंधित समस्त पब्लिसिटी के कार्य जिनमें होर्डिंग्स, मेला एवं प्रदर्शनी, फ्लैक्स, बैनर्स, वृत्तचित्र, टी.वी. रिपोर्ट, न्यूज कैप्सूल, वीडियो प्रजेंटेशन, वीडियो एवं रेडियो जिंगल, विज्ञापन कैम्पेन, इवेन्ट मैनेजमेंट आदि प्रचार-प्रसार का कार्य करने के लिये मध्यप्रदेश माध्यम को अधिकृत किया जाता है। भविष्य में प्रचार-प्रसार से संबंधित उपरोक्त समस्त कार्य मध्यप्रदेश माध्यम से कराये जायें।

भवदीय

(राकेश साहनी)

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय

क्रमांक: एफ- 5-4/2003/सात-5/09 भोपाल, दिनांक 28/2/09

प्रति,

नियंत्रक
मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग
भोपाल

विषय:- शासकीय विभागों एवं विभागाध्यक्षों के मुद्रण का कार्य।

संदर्भ:- राजस्व पत्र क्रमांक एफ/5-4/2003/सात-5, दिनांक 16/08/2004.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ में राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 16/08/2004 में दिये गये निर्देशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

28/2/09

ओ/सी अवर सचिव
मध्यप्रेदश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक- / /09

पृ. क्रमांक एफ
प्रतिलिपि:-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

28/2/09

ओ/सी अवर सचिव
मध्यप्रेदश शासन, राजस्व विभाग